

वेंचर कैपिटल फंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस

(बैकवर्ड क्लासेस के बीच उद्यमशीलता का निर्माण)



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

हमें फॉलो करें:



भारत में बैकवर्ड क्लासेस को रियायती वित्त उपलब्ध करवाकर उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला वेंचर कैपिटल फंड

पात्रता मानदंड

देश में बैकवर्ड क्लासेस के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित प्रत्याशित कंपनियों के लिये फंड के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में संचारित निधियों से सुनिश्चित परिसंपत्ति निर्माण हेतु स्थापित की जा रही परियोजनाओं और स्टार्ट अप्स पर विचार किया जायेगा।
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्ट अप भी वित्त के लिए पात्र होंगे।
- पिछड़े वर्ग के महिला और दिव्यांग उद्यमियों को वरीयता दी जायेगी।
- न्यूनतम अस्तित्व और शेयरधारिता मानदंड:
 - » **यदि सहायता 50 लाख रु से कम है** — कंपनियां, जिनकी कम से कम 51% स्टक होल्डिंग्स पिछले 6 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, मज़बूत व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 6 माह से अधिक के लिये प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग के प्रमोटर्स की कम से कम 51 % शेयरधारिता है।
 - » **यदि सहायता 50 लाख रु से अधिक है**— कंपनियां, जिनकी कम से कम 51% स्टक होल्डिंग्स पिछले 12 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, मज़बूत व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 12 माह से अधिक के लिये प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग के प्रमोटर्स की कम से कम 51 % शेयरधारिता है।
- पिछड़े वर्ग होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

वित्त पोषण ढांचा

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	वित्तीय सहायता का आकार	रु 20 लाख से रु 5 करोड़ तक [अधिकतम कुल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य से दो गुणा से अधिक नहीं]।
2.	वित्तीय सहायता की अवधि	अधिस्थगन अवधि सहित 8 वर्ष तक।
3.	निवेश के लिये साधन	• इक्विटी/वैकल्पिक परिवर्तनीय वरीयतन शेयर/ अनिवार्यतः परिवर्तनीय वरीयतन शेयर्स; • अनिवार्यता परिवर्तनीय डिबेंचर्स, वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर्स, अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स आदि;

क्र.सं.	विवरण	विवरण
4.	वित्त पोषण ढांचा	फंड के अधीन निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जायेगा: 1. 1 करोड़ रु तक वित्तीय सहायता – इस श्रेणी के अधीन निवेश का वित्तपोषण अधिकतम परियोजना लागत के 75% तक किया जायेगा और परियोजना के शेष 25% लागत का वित्तपोषण प्रमोटर्स द्वारा किया जायेगा; 2. 1 करोड़ रु से अधिक की वित्तीय सहायता– क. इस श्रेणी के अधीन निवेश का वित्तपोषण अधिकतम परियोजना लागत के 50% तक किया जायेगा। परियोजना लागत का कम से कम 25% वित्तपोषण प्रमोटर्स द्वारा किया जायेगा और परियोजना लागत का शेष 25% या तो प्रमोटर्स द्वारा अथवा बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान, जो भी मामला हो, द्वारा किया जा सकता है।
5.	मूल धन के मोचन के लिये अधिस्थगन अवधि	मामला दर मामला आधार पर परंतु कंपनी में निवेश की तिथि से 36 माह से अधिक नहीं। यद्यपि कोष की निवेश समिति द्वारा यथा निर्धारित नियमित अंतराल पर कंपनी में निवेश की तिथि से ब्याज/कूपन भुगतान आरंभ हो जायेगा।
6.	वित्तीय सहायता के लिये वापसी/कूपन/ब्याज	- इक्विटी इस्ट्र्युमेंट्स –15%प्रतिवर्ष - ऋण/परिवर्तनीय इस्ट्र्युमेंट्स – 8% प्रतिवर्ष (महिला/ *दिव्यांग** उद्यमियों के लिये – 7.75% प्रतिवर्ष) [*पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमी के स्वामित्वाधीन कंपनी पर विचार करने के लिये, पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमी के पास कंपनी में कम से कम 51 % हिस्सेदारी होनी चाहिये और वह कंपनी की प्रबंधन निदेशक होनी चाहिये; ** दिव्यांग उद्यमियों के मामले में, दिव्यांगजन के तौर पर अर्हता हेतु दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा.]
7.	प्रतिभूति	योजना के अधीन पोषित/सहायता प्रदत्त परियोजना की परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के लिये प्रभारित किया जायेगा। परियोजना परिसंपत्तियों में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा लाइसेंसों/पेटेंट्स पर अधिकार सम्मिलित होंगे।

क.सं.	विवरण	विवरण
		- यदि कंपनियां 1 करोड़ रु से अधिक की सहायता के आवेदन कर रही हैं बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ परिसंपत्तियों पर एक समान प्रभार। - निवेश से सृजित परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार जहां पहला प्रभार बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित किया जाता है। - परिसंपत्तियों पर प्रभार के अलावा, बाद-दिनांकित चैक और वायदा नोट्स लिये जायेंगे। - प्रमोटर्स की निजी गारंटियां, साथ में पुनर्खरीद समझौता किया जायेगा। - प्रमोटर्स द्वारा धारित शेयरों और कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी होने और प्रदत्त पूंजी गिरवी ली जायेगी। यद्यपि, गिरवी शेयरों की प्रतिशतता पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय किया जायेगा। - यदि मामले में कोई पर्याप्त बंधक उपलब्ध नहीं है, ऋण प्राप्तकर्ता परिवार/मित्रों/एसोसिएट्स/समूह कंपनियों से सामूहिक और कार्पोरेट गारंटियों की व्यवस्था कर सकता है।
8.	संशोधन	- मामला दर मामला आधार पर, उपर्युक्त शर्तें/निबंधन/संरचना बदल सकती हैं और समय-समय पर संशोधित/परिवर्तित की जा सकती हैं। - योजना विभिन्न प्रदेशों में विस्तारित हैय स्कीम को 6 माह से 1 वर्ष के बाद संशोधित, संवीक्षा की जा सकती है।



अधिक जानकारी के लिये कृपया संपर्क करें:

निवेश प्रबंधक:

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

16वां तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019

टेली: (+91)-(11)- 41732567/76/26453343, 26444932, Fax: (+91) (11) 26453348

वेबसाइट: www.ifciventure.com

ई-मेल: fundsbc@ifciventure.com

अस्वीकृति: यह हैंडआउट पूर्णतः सूचनात्मक उद्देश्यों के लिये है और फंड के अधीन प्रस्तावों की किसी स्वीकृति और मंजूरी का हिस्सा नहीं है। आईएफसीआई वेंचर यहां इसमें दी गई सूचना की पूर्णता अथवा शुद्धता की वारंटी नहीं देता है। हैंडआउट में दी गई सूचना विश्वसनीय मानी गई है और किसी भी पक्ष को कानूनी दायित्व के बिना सदभावना में प्रस्तुत की गई है। आईएफसीआई वेंचर इस नोट में उपलब्ध सूचना के प्रयोग से उत्पन्न कोई भी कानूनी दायित्व अथवा जिम्मेदारी नहीं उठायेगा अथवा लेगा. अभिमत, अनुमान और लक्ष्य परिवर्तन के विषयाधीन हैं।